न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/18 निर्णय दिनांकः 24.09.2018

1. राजीव कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति सुथार निवासी चक 15 जीबी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—08—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18—08—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 1

एम डब्ल्यू एम के मुरब्बा नम्बर 130/12 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18—08—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि यदि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवांटित भूमि है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित अन्य भूमि का आवंटन किया जाता। अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करते हुए मात्र अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 26—12—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद

कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—01—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 130/12 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।

विशेष आवंटन नियमों में आवेदित भूमि के आवंटन का ही प्रावधान निहित है। अन्य अन–आवेदित भूमि के आवंटन का प्रावधान विशेष आवंटन नियमों में निहित नहीं है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1999 सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर